राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 13470/2023

वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 139, ईस्ट, पटेल नगर, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान 3420001.

----अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, (राज.) के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक (अराजपत्रित) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर।
4. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, सिवांची गेट, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए	:	श्री एन एस राजपुरोहित
प्रतिवादियों के लिए	:	श्री बी एल भाटी, एएजी के लिए
		श्री राजेंद्र सिंह और श्री मोहन लाल

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>27/02/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों की निष्क्रियता और निर्देश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक 20) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे उसके कार्य अनुभव की वास्तविक अवधि के अनुसार अपेक्षित

बोनस अंक देने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें उसने जिस अवधि में काम किया था, उसमें से रविवार और छुट्टियों को छोड़ दिया गया है और उसने कोई सबूत नहीं दिया है कि उसने लैब सहायक या लैब तकनीशियन के रूप में काम किया था।

2. सबसे पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता, जो 1 अक्टूबर, 2012 से अनुबंध के आधार पर लैब तकनीशियन के रूप में कार्यरत है, ने 29 मई, 2018 को जारी एक विज्ञापन के बाद लैब सहायक के पद के लिए आवेदन किया। विज्ञापन में अनुभव के लिए बोनस अंक निर्दिष्ट किए गए थे और याचिकाकर्ता, जिसके पास 6 वर्ष, 5 महीने और 2 दिन का अनुभव था, ने भी आवेदन किया था। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होने और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, 5 सितंबर, 2019 को जारी एक कार्यालय आदेश में प्रतिवादी के कार्यालय द्वारा गलत कार्य अनुभव विवरण भेजा गया, जिसमें कार्य अनुभव की कुल अवधि की गणना करते समय रविवार और छुट्टियों को छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता की योग्यता और कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर सही बोनस पर प्रकाश डालने वाले कई अभ्यावेदन के बावजूद, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में, दिनांक 31.07.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. यहां उठाया गया विवाद अब अस्तित्व में नहीं है। सुरेश चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5694/2021, जिसका निर्णय 14.07.2023 को हुआ, जो इस प्रकार है:-

> "1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि उसकी उम्मीदवारी पर विचार करते समय प्रतिवादियों ने उसे बोनस अंक नहीं दिए हैं, भले ही उसने 392 दिनों से अधिक काम किया हो।
>
> 2. संक्षेप में वर्णित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.06.2020 की भर्ती अधिसूचना के अनुसार लैब तकनीशियन के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत लैब टेक्नीशियन के रूप में 392 दिन काम करने पर 10 बोनस अंक का दावा किया था।

अपने दावे के समर्थन में उन्होंने 13.07.2020 के दो प्रमाण पत्र संख्या 8019 और 8020 प्रस्तुत किए।

3. परिणाम घोषित होने पर याचिकाकर्ता को 47.792 अंक दिए गए, जबकि ओबीसी श्रेणी के लिए कटऑफ 48.73 थी।

4. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में शिकायत की है कि प्रतिवादियों ने उसे 10 बोनस अंक न देकर गलती की है, इस बहाने कि 53 दिन की साप्ताहिक छुट्टी काटने के बाद उसके वास्तविक कार्य दिवस 339 थे।

5. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, विवाद का विषय नहीं है। एकमात्र प्रश्न, जिस पर इस न्यायालय को निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि बोनस अंकों के उद्देश्य से अनुभव की गणना करते समय क्या साप्ताहिक अवकाश (रविवार) और राष्ट्रीय अवकाश आदि को बाहर रखा जा सकता है?

6. इस प्रश्न के उत्तर के लिए किसी विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है। श्रम कानूनों के अनुसार, सभी संगठनों/संस्थाओं/उद्यमों आदि को, चाहे वे सरकारी हों या निजी, साप्ताहिक अवकाश रखना आवश्यक है या प्रत्येक कर्मचारी को एक साप्ताहिक अवकाश देने के लिए बाध्य हैं। यदि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा स्वयं साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी गई थी, तो ऐसे अवकाशों को छोड़कर उसके अनुभव को अति-तकनीकी रूप से नहीं गिना जा सकता। याचिकाकर्ता के कार्य दिवसों की गणना 339 (324+15) दिन करने तथा ऐसी अवधि को वास्तविक कार्य दिवस मानने की राज्य की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध है तथा याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

7. यदि याचिकाकर्ता के वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या यानी दो अनुभव प्रमाण पत्रों (अनुलग्नक-3) के अनुसार 339 में 53 साप्ताहिक अवकाश जोड़ दिए जाएं, तो याचिकाकर्ता के कुल कार्य दिवसों की संख्या 392 दिन हो जाती है, जो स्पष्ट रूप से एक वर्ष से अधिक है।

8. रविवार या साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना या अनुमति देना राज्य सरकार सहित सभी नियोक्ताओं का वैधानिक कर्तव्य है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13(1)(बी) और समय-

समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं राज्य सरकार/नियोक्ता को प्रत्येक सप्ताह कर्मचारी को एक सवेतन अवकाश देने का आदेश देती हैं। साप्ताहिक अवकाश की तुलना उस छुट्टी से नहीं की जा सकती जो कर्मचारी स्वीकृत होने के बाद लेता है। इस तरह की साप्ताहिक छुट्टी संगठन द्वारा ही दी जाती है या कर्मचारी द्वारा मांगे बिना ही दी जानी चाहिए। इसलिए, अनुभव की गणना करते समय या उम्मीदवार द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या की गणना करते समय साप्ताहिक छुट्टी के ऐसे दिनों को नहीं घटाया जा सकता है। प्रतिवादी का रुख कानून के विपरीत और मनमाना है, जबकि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के अनुसार अनुभव की गणना वार्षिक आधार पर की जानी है।

9. इस न्यायालय द्वारा महिपाल लखेरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2577/2020 के मामले में लगभग समान दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसका निर्णय 11.01.2021 को हुआ।

10. उपरोक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

11. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 10 बोनस अंक दें और उसे 31.08.2023 तक नियुक्ति प्रदान करें (यदि वह अन्यथा पात्र है)।

12. उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.05.2021 के अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता वर्ग (ओबीसी) में लैब टेक्नीशियन का एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया गया था। यदि याचिकाकर्ता पात्र पाया जाता है तो उसे ऐसे पद पर नियुक्ति दी जाए और यदि वह अपात्र है तो ऐसे पद को कानून के अनुसार भरा जाए।

13. स्थगन आवेदन भी निपटाया जाता है।”

4. इस मामले के तथ्यों को देखने पर यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की स्थिति भी ऐसी ही है।

5. तदनुसार, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उपरोक्त निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों न दिया जाए।

6. यह इस प्रकार आदेशित है

7. इस रिट याचिका को पूर्वोक्त निर्णय के समान ही आने वाले परिणामों के साथ स्वीकार किया जाता है।

8. विदा लेने से पहले, मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता ने लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन के रूप में काम किया है या नहीं, यह अप्रासंगिक है, इस न्यायालय द्वारा नरेंद्र बरवाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1669/2022 के मामले में दिए गए एक अन्य फैसले के मद्देनजर, जो 05.05.2022 को तय हुआ था। उपरोक्त निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात मैं अपने विद्वान भाई अरुण भंसाली जे. (तब वे इस न्यायालय में थे) द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। निर्णय के अर्थ से यह स्पष्ट है कि कार्य अनुभव चाहे लैब टेक्नीशियन या लैब सहायक के पद पर हो, यह महत्वहीन है, बशर्ते अभ्यर्थी ने प्रयोगशाला में काम किया हो, क्योंकि लैब सहायक और लैब टेक्नीशियन के कर्तव्य समान प्रकृति के होते हैं।

9. परिणामस्वरूप, दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक 20) का आक्षेपित आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया था, निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें और उसे उसकी पात्रता के अनुसार बोनस अंक प्रदान करें तथा उसके प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन करें। परिणामस्वरूप, अन्यथा योग्य पाए जाने पर, उन्हें रिक्त पद का लाभ दिया जाएगा, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित 16.01.2024 के अंतरिम आदेश के तहत नहीं भरने का निर्देश दिया गया था।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।